LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Monday, 26 March 2018 / 05 Chaitra 1940 (*Saka*)

No. 72

02.05 PM **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 2.07 PM **Question Hour :**

Starred Question No. 101 was asked & replied.

(2.32 PM) Ruling of the Chair regarding Starred Question No. 102 :

The Chair referred the reply to Starred Question No. 102 (Urban Development) to the Questions & Reference Committee as some Members were not satisfied with the reply submitted by the department concerned.

Starred Questions No. 103, 104, 106 to 108 were asked and replied to.

Replies to Starred Questions No. 105, 110 to 120 and Un-Starred Questions No. 280 to 322 were placed on the table.

Replies to Starred Question No. 109 was not received from the Department concerned.

Some Members raised objections regarding non receipt of reply of aforesaid Starred Question.

(3.19 PM) The Chair also expressed his concern and read the letter dated 19 March 2018 received from Principal Secretary (Law, Justice & LA) pertaining to the issue of questions being raised in Legislative Assembly of Delhi on matters related to *'Reserved Subjects'* in which it was stated that the Speaker of Legislative Assembly cannot admit any Question on any *'Reserved Subject'*.

2. 3.41 PM **Special Mention (Rule-280) :**

Hon'ble Speaker ruled that the matters to be raised by following Members under Rule-280 be treated as read :

1. Shri Raju Dhingan
2. Shri Jagdish Pradhan
3. Shri Sahi Ram
4. Shri Pawan Kumar Sharma
5. Shri Manjinder Singh Sirsa
6. Ms. Rakhi Birla
7. Shri Mohinder Goyal
8. Shri Raghuvinder Shokeen
9. Shri Girish Soni
10. Shri Narayan Dutt Sharma

3. 3.42 PM **Ruling of the Chair regarding non-submission of replies on so called 'reserved' subjects:**

"Hon'ble Members, the Principal Secretary (Law) has forwarded a copy of letter dated 19 March 2018 of Joint Secretary to the Lieutenant Governor regarding admissibility of questions on so called 'reserved' subjects. The letter has communicated an advice received from the Department of Legal Affairs, Government of India through the Ministry of Home Affairs. It states, inter alia, that *"in view of the provision contained in Article 239AA (3) and (4) read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any Question on any Reserved Subject."*

As informed by the Hon'ble Deputy Chief Minister on 19 March 2018, the Vigilance Department Officers refused to provide proper reply to Starred Questions 04 and 16 on these same grounds. I have already referred the issue to the Committee of Privileges and also directed the Chief Secretary to ensure that the replies are submitted immediately.

The Secretariat has received copies of letters from some Departments such as Services, Vigilance, Land & Building refusing to attend briefing meetings with the concerned Ministers.

I fail to understand the reason for these childish attempts to challenge the privileges of this Assembly. As pointed out by the Deputy Chief Minister in the House, this information cannot be denied even under the RTI Act. Thus information which an ordinary citizen is entitled to have, is being denied to this privileged House. Questions related to the reserved subjects have been asked and answered in this House since its inception. Trying to evade questions on vigilance matters under the garb of 'services' smacks of intent to protect the corrupt.

Rule 29 states that *"A question must relate to a matter of administration for which the Government is responsible. Its purpose shall be to elicit information or to give suggestion of action on a matter of public importance."*

First of all it should be noted that as per Rule-291 **the Speaker's decision is final** regarding interpretation of the Rules of Procedure. Moreover, Rule-293 clearly states that *"No decision of the Speaker in respect of allowing or disallowing of any resolution or question or in respect of any other matter, shall be questioned."*

There is a provision similar to Rule-29 in the Lok Sabha Rules. Rule-41 (2) (viii) of the Lok Sabha Rules, the Question *"shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Government of India"*. But such questions are admitted on the discretion of the Hon'ble Speaker. I would like to quote from Kaul and Shakdhar's Practice and Procedure of Parliament – *"The discretion to allow a question which is not the primary concern of the Government of India is exercised by Speaker on the merits of each case. In such matters, the extent of public importance is the deciding factor."*

The officers should realise that legislation on reserved subjects and seeking replies on matters of public interest which directly affect the people of Delhi are two different issues. Hence I direct that the officers are duty bound to provide replies to all questions which are admitted. Any attempt from anyone, whatsoever post he may hold, to deny information to the Assembly and its Committees shall be viewed seriously. I reiterate that all the questions, replies to which have not been received from the concerned departments stand referred to the Committee of Privileges."

The following Members expressed their views :

1. Shri Vishesh Ravi
2. Shri Somnath Bharti
3. Shri Akhilesh Pati Tripathi
4. Shri Mohinder Goyal
5. Shri Pankaj Pushkar
6. Shri Jitender Singh Tomar
7. Shri Manjinder Singh Sirsa
8. Shri Ajay Dutt
9. Shri Saurbh Bharadwaj
10. Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition
11. Ms. Alka Lamba
12. Shri Nitin Tyagi
13. Shri Om Prakash

The Chair also read the letter dated 24 March 2018 received from Services Department pertaining to the reply to the Starred Question No. 109 in which the Department had expressed its inability to send replies to the Assembly Questions on 'Services' related matters.

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister expressed his displeasure and stated that such communication sent directly to the Assembly without information to the Minister concerned was violation of Constitutional provisions. He also stated that the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi was not a subordinate body of Ministry of Home Affairs, Govt. of India.

4. 4.35 PM **The Chair adjourned the House for 30 Minutes for tea-break.**

5. 5.13 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

6. 5.13 PM **Calling Attention (Rule-54) :**
Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition called the attention of Hon'ble Deputy Chief Minister regarding *"measures adopted by the private schools of Delhi to increase their pass percentage in Board exams and the mental pressure suffered by the Students"*.
Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister made a brief statement.

7. 5.22 PM **Government Resolution (Rule-90)** :
Shri Rajender Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare moved the following Resolution under Rule-90 with the leave of the House :

"The Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in its sitting held on 26 March 2018 resolves:

That having noted with serious concern the plight of officers of Delhi Administration Subordinate Services (DASS) Cadre, who have been facing acute stagnation at all levels due to long pending restructuring of their cadre and resultant lack of promotional avenues, our Cabinet approved the proposal for restructuring of DASS cadre vide Cabinet Decision No.2283 dated 31.12.2015.

That to our utter dismay, this Cabinet Decision could not materialize till now, even after lapse of more than two years due to lackadaisical and indifferent attitude of the officers responsible for examining such service matters and placing proposals before appropriate authority for approval/implementation.

Further, now having realized with great dissatisfaction that these authorities have overlooked the need of the hour and miserably failed in providing an efficient state administration of dedicated and motivated workforce to serve the people of Delhi, this House resolves that:

Pursuant to Cabinet Decision No.2283 dated 31 December 2015, DASS Cadre be restructured and parity between DASS cadre and CSS Cadre as proposed in para 5 of the Cabinet Note be established immediately without any delay. Since the employees of Steno Cadre are also facing acute stagnation similar to DASS cadre, it is also resolved that Steno Cadre also be restructured on the pattern of CSSS cadre of GOI. All procedural formalities for amending the DASS Rules, 1967 and restructuring of DASS and Steno Cadre be completed by the Services Department exactly within a month from the date adoption of this Resolution by the House.

Further, this House also resolves that the proposal be considered by the Hon'ble Lt. Governor, Delhi on priority and approval be accorded for its expeditious implementation."

The Resolution was to put to vote and adopted by voice-vote.

8. 5.29 PM **Discussion on Annual Budget (2018-19) :**

The following Members take part in discussion on Annual Budget (2018-19) presented by Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister on 22 March 2018 :

1. Ms. Alka Lamba
2. Shri Saurbh Bharadwaj
3. Shri Somnath Bharti

   (6:03 PM : The Chair extended the sitting of the House upto 6.30 PM)
4. Shri Om Prakash Sharma
5. Shri Rituraj Govind
6. Shri Nitin Tyagi

9. 6.30 PM **Shri Saurabh Bharadwaj** moved the following Resolution with the leave of the House :

"This House of Delhi Legislative Assembly in its sitting dated 26 March 2018 resolves:

Whereas, there have been many media reports and the budget speech of Dy. Chief Minister Shri Manish Sisodia mentioned about the role of Hon'ble Lt. Governor office for delay and roadblocks in effective execution of projects and programs of elected Govt. of NCT of Delhi.

Whereas, there have been many instances reported in media, when critical decisions of Cabinet of Govt. of NCT of Delhi have not been implemented due to objections from Hon'ble Lt. Governor office.

This House directs the Govt. of NCT of Delhi to present a status report of Hon'ble LG office on the lines of outcome budget. The report should mention the files which have been delayed or blocked by Hon'ble LG office."

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister also made a brief statement.

The Resolution put to vote and adopted by voice vote.

10. 6.38 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Tuesday, 27 March 2018.**

Delhi **C. Velmurugan**

26 March, 2018 **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
सोमवार, 26 मार्च, 2018 / 05 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या–72

2.05 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 2.07 बजे **प्रश्न कालः**

तारांकित प्रश्न संख्या 101 पूछा गया और उसका उत्तर दिया गया।

(2.32 बजे) तारांकित प्रश्न संख्या 102 के संबंध में अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था :

अध्यक्ष महोदय ने तारांकित प्रश्न संख्या 102 (शहरी विकास) के उत्तर को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया क्योंकि कुछ सदस्य संबंधित विभाग द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 103, 104, 106 एवं 108 पूछे गये और उनके उत्तर दिये गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 105, 110 से 120 तथा अतारांकित प्रश्न सख्या 280 से 322 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 109 का उत्तर संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।

कुछ सदस्यों ने उपरोक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में आपत्ति प्रकट की।

(3.19 बजे) अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी चिंता व्यक्त की और *'आरक्षित विषयों'* के संबंध में दिल्ली विधानसभा में प्रश्न उठाये जाने के मामले के बारे में प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य) से प्राप्त पत्र दिनांक 19 मार्च 2018 को पढ़ा, जिसमें यह कहा गया था कि विधानसभा के अध्यक्ष *'आरक्षित विषयों'* पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते।

2. 3.41 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम–280 के अंतर्गत उठाये जाने वाले विशेष उल्लेख के मामले पढ़े हुये माने जायें :–

1. श्री राजू धिंगान
2. श्री जगदीश प्रधान
3. श्री सही राम
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
6. सुश्री राखी बिडला
7. श्री महेन्द्र गोयल
8. श्री रघुविंदर शौकीन
9. श्री गिरीश सोनी
10. श्री नारायण दत्त शर्मा

3. 3.42 बजे **कथित 'आरक्षित विषयों' पर उत्तर प्रस्तुत न करने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था :**

''माननीय सदस्यगण, विधि विभाग के प्रधान सचिव ने कथित 'आरक्षित विषयों' से संबंधित प्रश्नों की स्वीकार्यता के बारे मे उपराज्यपाल महोदय के संयुक्त सचिव के पत्र दिनांक 19 मार्च 2018 की प्रति प्रेषित की है। इस पत्र में गृह मंत्रालय के माध्यम से विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार के परामर्श को संप्रेषित किया गया है। इसके अनुसार, *''संविधान के अनुच्छेद 239 AA (3) तथा (4) के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम–29 के दृष्टिगत, विधानसभा के अध्यक्ष वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते।''*

जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने दिनांक 19 मार्च 2018 को सदन में सूचित किया था, सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने तारांकित प्रश्न संख्या 04 तथा 16 के उपयुक्त उत्तर देने से इन्हीं आधारों पर मना कर दिया। मैंने यह मामला पहले ही विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है और मुख्य सचिव को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उत्तर तत्काल दिये जायें।

सचिवालय को कुछ विभागों जैसे सर्विसिज, विजिलेंस, भूमि एवं भवन से पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनमें उन्होंने संबंधित मंत्रियों के साथ ब्रीफिंग मीटिंग करने से मना कर दिया है।

इस विधानसभा के विशेषाधिकारों को चुनौती देने के इन बचकाना प्रयासों के कारणों को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जैसा कि उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी सदन में कहा था कि इस सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देने से भी मना नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जिस सूचना को आम नागरिक भी प्राप्त कर सकता है, आश्चर्यजनक रूप से उसे इस विशेषाधिकार प्राप्त सदन को देने से मना किया जा रहा है। आरक्षित विषयों से संबंधित प्रश्नों को इस सदन की स्थापना के बाद से ही पूछा जाता रहा है और उनके उत्तर भी दिये जाते रहे हैं। सर्विसिज़ की आड़ में विजिलेंस से जुड़े प्रश्नों से बचने का प्रयास करना भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की मंशा जाहिर करता है।

विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम–29 के अनुसार, *''प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषय से सम्बद्ध होना चाहिए जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है। उसका प्रयोजन लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना अथवा कार्रवाई का सुझाव देना होगा।''*

सबसे पहले इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम–291 के अनुसार प्रक्रिया नियमों की व्याख्या के संबंध मे **अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होता है।** इसके अलावा नियम–293 स्पष्ट रूप से बताता है कि *''किसी संकल्प या प्रश्न एवं किसी अन्य विषय की स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बारे में अध्यक्ष का जो निर्णय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।''*

विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम–29 के समान ही लोकसभा के नियमों मे भी ऐसी व्यवस्था है। लोकसभा नियमों के नियम–41 (2)(viii) के अनुसार, *''प्रश्न उस विषय से संबंधित नहीं होगा, जो मुख्यतः भारत सरकार का विषय न हो''* लेकिन ऐसे प्रश्नों को माननीय अध्यक्ष के विवेक के आधार पर स्वीकार किया जाता है। मैं कॉल एवं शकधर की पुस्तक 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' को उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें उल्लेख है कि *''किसी ऐसे विषय से, जो भारत सरकार का विषय नहीं है, उससे संबंधित प्रत्येक प्रश्न को गुण–दोष के आधार पर स्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष को है। ऐसे मामलों मे,* ***लोक महत्व के आधार पर*** *निर्णय किया जाता है।''*

अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि आरक्षित विषयों पर कानून बनाना और दिल्ली की जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले जनहित से जुड़े मुद्दों पर उत्तर प्राप्त करना, दोनों अलग–अलग मामले हैं। इसलिए मैं यह निर्देश देता हूं कि अधिकारी उन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं जो स्वीकार किये जाते हैं। विधानसभा और इसकी समितियों को सूचना देने से मना करने का किसी के भी द्वारा किया गया कोई भी प्रयास, चाहे वह किसी भी पद पर कार्य करता हो, उसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ऐसे सभी प्रश्नों को, जिनके उत्तर संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जायेगा।''

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री विशेष रवि
2. श्री सोमनाथ भारती
3. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
4. श्री महेन्द्र गोयल
5. श्री पंकज पुष्कर
6. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
7. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
8. श्री अजय दत्त
9. श्री सौरभ भारद्वाज
10. श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष
11. सुश्री अलका लाम्बा
12. श्री नितिन त्यागी
13. श्री ओमप्रकाश शर्मा

अध्यक्ष महोदय ने तारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के संबंध मे सेवायें विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 24 मार्च 2018 को भी पढ़ा, जिसमें विभाग ने '*सेवायें* से संबंधित मामलों के विधानसभा प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थता जाहिर की थी।

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि संबंधित मंत्री की जानकारी के बिना ऐसा संदेश सीधे विधानसभा को भेजना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा गृह मंत्रालय, भारत सरकार का अधीनस्थ निकाय नहीं है।

4. 4.35 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश के लिए 30 मिनट तक स्थगित की।**

5. 5.13 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

6. 5.13 बजे **ध्यानाकर्षण (नियम–54) :**

श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने *"बोर्ड परीक्षाओं में पास प्रतिशत में वृद्धि के लिए दिल्ली के प्राईवेट स्कूलों द्वारा उठाये जा रहे कदमों और विद्यार्थियों द्वारा मानसिक दबाव झेलने"* के संबध में माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

7. 5.22 बजे **सरकारी संकल्प (नियम–90):**

श्री राजेन्द्रपाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री ने सदन की अनुमति से नियम–90 के अंतर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :

''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 26.03.2018 को हुई अपनी बैठक में यह संकल्प करती है कि:

दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाएं (DASS) कैडर के अधिकारियों की स्थितियों पर गंभीर चिंतन करते हुए, जो

कि बहुत समय से लंबित कैडर–पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पदोन्नति के अवसरों में अभाव के कारण सभी स्तरों पर अत्यधिक ठहराव का सामना कर रहे हैं, हमारी कैबिनेट ने कैबिनेट निर्णय संख्या 2283 दिनांक 31.12.2015 के द्वारा DASS कैडर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

हम अत्यंत निराश हैं कि जिन अधिकारियों पर इस प्रकार के सेवा–विषयों के परीक्षण और उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष स्वीकृति/क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व था, उनके ढुलमुल और उदासीन रवैये के कारण कैबिनेट का यह प्रस्ताव दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, अभी तक लागू नहीं हो सका।

और अब यह सिद्ध हो जाने पर कि इन प्राधिकारियों ने समय की मांग की उपेक्षा की है और वे दिल्ली की जनता को एक समर्पित और सक्रिय श्रमशक्ति प्रदान करने में बुरी तरह विफल रहे हैं, यह सदन प्रस्ताव करता है कि :

कैबिनेट निर्णय संख्या 2283 दिनांक 31.12.2015 के अनुरूप DASS कैडर को पुनर्गठित किया जाए और कैबिनेट नोट के पैरा 5 में प्रस्तावित DASS कैडर और CSS कैडर में तत्काल बिना किसी विलंब के समानता स्थापित की जाए। चूंकि DASS कैडर की ही भांति स्टेनो कैडर के कर्मचारी भी अत्यंत ठहराव का सामना कर रहे हैं, अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्टेनो कैडर को भी भारत सरकार के CSSS कैडर की भांति पुनगर्ठित किया जाए। DASS नियमावली, 1967 में परिवर्तन तथा DASS और स्टेनो कैडर के पुनर्गठन हेतु प्रकिया संबंधी औपचारिकताओं को, सेवाएं विभाग द्वारा इस संकल्प को सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के ठीक एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए।

साथ ही, यह सदन संकल्प करता है कि इसके त्वरित कार्यान्वयन के लिए माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा इस प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करके स्वीकृति प्रदान की जाए।"

संकल्प मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

8. 5.29 बजे **वार्षिक बजट (2018–19) पर चर्चा:**

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च 2018 को प्रस्तुत वार्षिक बजट (2018–19) पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. सुश्री अलका लाम्बा
2. श्री सौरभ भारद्वाज
3. श्री सोमनाथ भारती

[*6.03 बजे : अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि सांय 6.30 बजे तक के लिए बढ़ाई*]

4. श्री ओमप्रकाश शर्मा
5. श्री ऋतुराज गोविंद
6. श्री नितिन त्यागी

9. 6.30 बजे **श्री सौरभ भारद्वाज** ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 26 मार्च 2018 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि :

जैसा कि कई मीडिया रिपोर्ट आई हैं और अपने बजट भाषण में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने भी, चुनी हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन में देरी करने एवं अड़चन डालने में माननीय उप राज्यपाल कार्यालय की भूमिका के बारे में जिक्र किया है,

जैसा कि मीडिया में कई ऐसे उदाहरणों को रिपोर्ट किया गया है, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संवेदनशील निर्णयों को माननीय उप राज्यपाल के कार्यालय की आपत्तियों के कारण लागू नहीं किया जा सका,

यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को माननीय उप राज्यपाल के कार्यालय को आउटकम बजट की तरह स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। इस रिपोर्ट मे उन फाइलों का उल्लेख होना चाहिए, जिन्हें माननीय उप राज्यपाल के कार्यालय द्वारा विलम्बित किया गया है या रोका गया है।"

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

संकल्प मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

10. 6.38 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
26 मार्च, 2018

सी. वेलमुरूगन
सचिव